Tel :- 7320877335
Email :- drer.pankaj@gov.in

न्यायालय, जिला लोकपाल,
मनरेगा
समाहरणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार

सन्दर्भ:-वाद संख्या 02/2017–18

पंचाट/अधिनिर्णय

दिनांक 08.11.2017

प्रस्तुत परिवाद संख्या 02/2017–18 श्री रामशंकर, पंचायत–मोहब्बतपुर, थाना–शेखोपुरसराय, जिला–शेखपुरा **बनाम** मुखिया पंचायत मोहब्बतपुर, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता, मनरेगा के विरूद्ध दायर परिवाद है। **परिवादी का कथन है कि** मनरेगा के अंतर्गत मुखिया एवं कनीय अभियंता के मिली भगत से लूट एवं बन्दरबाट करने का आरोप है। विस्तृत शिकायत में योजना सं0 05/2016–17, 06/2016–17, 07/2016–17 एवं 10/2016–17 से संबंधित है।

आरोपों की जॉच :–

वाद संख्या 02, दिनांक 03.10.2017 को मेरे समक्ष लाया गया मेरे द्वारा दिनांक 04.10.2017 एवं 24.10.2017 को दो बार कार्यक्रम पदाधिकारी, शेखोपुरसराय से स्पष्टीकरण पूछा गया जिसकें उपरांत दिनांक 13.10.2017 एवं 31.10.2017 को क्रमशः स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, और मै दिनांक 17.10.2017 एवं 02.11.2017 को योजना स्थल पर जॉच हेतु गया। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिए गए रिर्पोट के विस्तृत तथ्यों का गहन जॉच किया गया।

पंचाट/अधिनिर्णय :–

योजना संख्या 05/2016–17, 06/2016–17, 07/2016–17 एवं 10/2016–17 को कार्यान्वित करवाने में अनियमितता पाई गई इस सन्दर्भ को देखते हुए निम्नवत्त :–

1.	श्री शिव कुमार भारती	–	कार्यक्रम पदाधिकारी, शेखोपुरसराय।
2.	श्री हेमन्त कुमार	–	सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा, (प्रतिनियुक्त, प्रखंड–शेखोपुरसराय)
3.	श्री चन्दन कुमार	–	कनीय अभियंता, जलपथ प्रमंडल, शेखपुरा, (प्रतिनियुक्त, प्रखंड–शेखोपुरसराय)।
4.	स्व0 उज्जवल राज	–	कनीय अभियंता (मृत)।
5.	श्री मन्टु कुमार	–	कनीय अभियंता।
6.	श्री राकेश कुमार	–	पंचायत तकनीकि सहायक।
7.	श्री अविनीश सिन्हा	–	लेखापाल।
8.	श्री शिवनन्दन कुमार	–	पंचायत रोजगार सेवक।

उपरोक्त वर्णित सभी आरोपित पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों के वेतन/मानदेय से आठ दिनों की वेतन/मानदेय कटौती कर आर्थिक दण्ड सुनिश्चित किया जाता है, जिसका अनुपालन सभी संबंधित विभाग को सुनिश्चित कराना है तथा कृत कार्रवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

निष्पादित दिनांक 08.11.2017।

कार्यालय जिला लोकपाल (मनरेगा) शेखपुरा (बिहार)

ई0 पंकज सिन्हा,
जिला लोकपाल
(मनरेगा),
शेखपुरा (बिहार)

ज्ञापांक 24/लो0पा0/2017-18 दिनांक 08.11.2017/

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम समन्वयक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल/जलपथ प्रमंडल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।**

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला समन्वयक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पंचाट की प्रति जिले के बेवसाइट पर अपलोड करावें।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी आरोपित पदाधिकारी/कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय जिला लोकपाल (मनरेगा)

ई0 पंकज सिन्हा,
जिला लोकपाल
(मनरेगा),
शेखपुरा (बिहार)

WEB COPY